पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 28 मई, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति–विनियमन एवं क्रय) अधिनियम, 1953 की धारा–18 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति–विनियमन एवं क्रय) अधिनियम, 1953 की धारा–18 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति–विनियमन एवं क्रय) अधिनियम, 1953 की धारा–18 में वर्तमान में प्रयुक्त शब्द 'कमीशन' के स्थान पर शब्द 'अंशदान' रखे जाने हेतु विधायी संशोधन, अध्यादेश के माध्यम से किए जाने एवं इस सम्बन्ध में विधायी एवं भाषा विभाग के द्वारा यथाविधीक्षित–उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति–विनियमन एवं क्रय) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रख्यापित किए जाने का निर्णय लिया है। उक्त अध्यादेश के प्रख्यापन के पश्चात, विधान मण्डल के आगामी सत्र में इसे विधेयक के समय में पुरः स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति–विनियमन एवं क्रय) अधिनियम, 1953 की धारा–18 में किसी फैक्ट्री या गुड़, राब, खाण्डसारी चीनी निर्माणकत्री इकाई के अधिभोगी के द्वारा क्रय किए गए गन्ने के प्रत्येक एक मन के लिए एक कमीशन संदत्त किए जाने की व्यवस्था है, जिसके सापेक्ष गन्ना कमीशन के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को सहकारी गन्ना विकास समितियों तथा गन्ना विकास परिषदों के मध्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अनुपात व प्रतिशत (75 समिति : 25 परिषद) के आधार पर संवितरित किए जाने की व्यवस्था है, जो इनकी आय का स्रोत होता है।

वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा आयकर की इस धारा–10(20) में दिनांक 01.04.2003 से संशोधन करके एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया और इस स्पष्टीकरण से गन्ना विकास परिषदें 'लोकल अथॉरिटी' की परिभाषा से बाहर हो गयीं, फलतः गन्ना विकास परिषदें आयकर की धारा–10(20) में प्राप्त बिना शर्त आयकर छूट से दिनांक 01.04.2003 से वंचित हो गयीं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–194 (एच) (वित्त अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2001 से लागू की गयी है) के अनुसार 'कमीशन' के नाम से प्राप्त समस्त भुगतान पर आयकर, (टी0डी0एस0 के रूप में) प्राविधान लागू कर दिया गया, इसीलिए चीनी मिलों द्वारा 'कमीशन' के नाम से विकास परिषदों को देय भुगतान में टी0डी0एस0 निरन्तर काटा जा रहा है, जिससे परिषदों को आर्थिक हानि हो रही है।

————————

प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके तहत छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित जनपद अमेठी को डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के क्षेत्राधिकार में किए जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019' को प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। साथ ही, 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019' के प्रख्यापन के उपरान्त उसके प्रतिस्थानी विधेयक के प्रख्यापन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर तथा डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की अनुसूची में क्रमांक 3 एवं क्रमांक 6 में अंकित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

————————

मंत्रिपरिषद के अवलोकनार्थ प्राविधिक शिक्षा विभाग की उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–94 के अंतर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत

मंत्रिपरिषद के समक्ष प्राविधिक शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–47 एवं 83 की विभिन्न पूंजीगत मदों में एकमुश्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय की नयी मदों/कार्यों हेतु उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–94 के अंतर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के विवरण को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–94 में यह व्यवस्था है कि किसी वित्तीय वर्ष में पैरा–94 के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियों का एक विवरण मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तद्नुक्रम में विभाग के कार्यों/योजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तर–94 के अंतर्गत सक्षम स्तर के अनुमोदन से जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण मंत्रिपरिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

———————

उ0प्र0 गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली–2019 पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गो सरंक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली–2019 को अनुमोदित कर दिया है। यह नियमावली प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं के भरण–पोषण हेतु वित्त पोषण के लिए संविधान के अनुच्छेद–162 के अन्तर्गत कार्यकारी शक्तियों के अधीन गठित की गई है।

कृषि कार्य में मशीनीकरण के कारण स्वदेशी/अवर्णित गोवंश के नर वत्स का उपयोग कृषि कार्य में किए जाने की परिपाटी प्रदेश से लगभग समाप्त हो गयी है। इन नर गोवंश के पशु स्वामी बेसहारा छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त यह निराश्रित गोवंश अनियंत्रित प्रजनन द्वारा अनुपयोगी/कम उत्पादकता के गोवंश की उत्पत्ति करते हैं जो निराश्रित पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हैं।

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे निराश्रित/बेसहारा गोवंश (नर+मादा) की समस्या के निराकरण हेतु शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018, दिनांक–02.01.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति प्रख्यापित की गयी है। इस शासनादेश के अनुक्रम में गठित प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में निर्गत आदेश संख्या–261/सैंतीस–2–2019–5(53)/18, दिनांक 28.01.2019 के प्रस्तर–6 में कार्पस फण्ड के गठन का निर्णय लिया गया है।

कोष के गठन से जनपद के गोवंश आश्रय स्थलों में आवासित गोवंश के पालन–पोषण गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन/प्रबन्धन के लिए सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी। साथ ही, गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनपद के गोवशं आश्रय स्थलों में अस्थायी/अति आवश्यक प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण तथा उत्पादन इकाइयों/योजनाओं के लिए सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, गोवंश आश्रय स्थलों के आवासित गोवंश के भरण–पोषण, निस्तारण, संरक्षण एवं संवर्धन से सम्बन्धित विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

————————

मंत्रिपरिषद के अवलोकनार्थ उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–94 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में नागरिक उड्डयन विभाग में प्रदान की गई स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत

मंत्रिपरिषद के अवलोकनार्थ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा–94 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृतियों के विवरण को प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–38 में एकमुश्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (लागत) बजट मैनुअल के प्रस्तर–94 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त कुल 1,23,69,56,729 (एक अरब 23 करोड़ 69 लाख 56 हजार 729) रुपये की स्वीकृति नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा निर्गत की गई।

————————

जनपद गौतमबुद्धनगर में जेवर के निकट नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने जनपद गौतमबुद्धनगर में जेवर के निकट नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत मंत्रिपरिषद ने पी0एम0आई0सी0 द्वारा अनुमोदित/संस्तुत बिड (आर0एफ0क्यू0 कम आर0एफ0पी0) डॉक्यूमेण्ट एवं ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेण्ट डॉक्यूमेण्ट को अनुमोदन प्रदान किया है। साथ ही, नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एन0आई0ए0एल0) द्वारा ग्लोबल टेण्डर की कार्रवाई पी0एम0आई0सी0 की बैठक दिनांक 21 मई, 2019 में निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार किए जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया है।

मंत्रिपरिषद द्वारा परियोजना से प्रभावित तथा विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु अनुमानित धनराशित 894.53 करोड़ रुपये पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व निर्गत 275,00,00,000 रुपए धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्त्तीय स्वीकृति पर कार्योत्तर अनुमोदन भी प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

————————

रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि0 में 5,000 टी0सी0डी0 पेराई क्षमता की चीनी मिल तथा 27 मेगावाट क्षमता के को–जेनरेशन संयंत्र की स्थापना हेतु शत–प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार के आय–व्ययक से किये जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद द्वारा रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि0, रमाला जनपद बागपत में 5,000 टी0सी0डी0 पेराई क्षमता की चीनी मिल एवं 27 मेगावाट क्षमता के को–जेनरेशन संयंत्र की स्थापना हेतु शत–प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार के आय–व्ययक से किये जाने का निर्णय लिया गया है। रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि0 का वित्त पोषण अन्य वित्तीय संस्थाओं से न हो पाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 9614.49 लाख रुपये अवमुक्त कर परियोजना का कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि0, रमाला जनपद बागपत में 5,000 टी0सी0डी0 पेराई क्षमता की चीनी मिल एवं 27 मेगावाट क्षमता के को–जेनरेशन संयंत्र की स्थापना की जा रही है। पी0आई0बी0 द्वारा परियोजना की लागत 30225.53 लाख रुपये निर्धारित की गयी, किन्तु टेण्डर के उपरान्त रमाला परियोजना की संशोधित लागत 33014.49 लाख रुपये आंकलित हुई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहकारी चीनी मिल रमाला के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण एवं को–जेनरेशन परियोजना के वित्त पोषण हेतु 8400 लाख रुपये ऋण के रूप में अवमुक्त किया गया है। रमाला चीनी मिल की नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण उक्त परियोजना हेतु एन0सी0डी0सी0 से वित्त पोषण न हो पाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 15000 लाख रुपये ऋण के रूप में अवमुक्त किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 23400 लाख रुपये ऋण के रूप में अवमुक्त किया जा चुका है।

————————